रजिस्ट्री सं. डी.एल.–33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र

सत्यमेव जयते

Delhi Gazette

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 297] दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2019/कार्तिक 10, 1941 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 271

No. 297] DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2019/KARTIKA 10, 1941 [N.C.T.D. No. 271

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वित्त (राजस्व-1) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2019

सं. 05/2019- राज्य कर (दर)

सं. फा. 03(78)/वित्त(राज.-1)/2019-20**/डीएस-**VI/ 516.—दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का **03**) की धारा 9 की उप-धारा (3) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, जी एस टी परिषद की सिफ़ारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-I) की अधिसूचना संख्या 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सं0 फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/379, दिनांक 30 जून, 2017 को दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी में, क्रम संख्या 5क और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अन्तः स्थापित किया जाएगा, यथा : -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5 **ख**	किसी प्रमोटर के द्वारा किसी रीयल इस्टेट प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य के लिये किसी व्यक्ति द्वारा 'डेवलपमेंट राइट' या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स समेत) के अकन्तर्न के माध्यम से आपूर्ति की गयी सेवाएँ	कोई भी व्यक्ति	प्रमोटर;
5 **ग**	किसी प्रमोटर के द्वारा किए जाने वाले किसी रीयल इस्टेट प्रोजेक्ट के निमार्ण कार्य के लिए अपफ्रंट राशि (जिसे प्रीमियम, सलामी कास्ट प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या अन्य किसी भी नाम से जाना जाता हो) और/ या आवधिक किराया के रूप में प्रतिफल के एवज में किसी व्यक्ति के द्वारा भूमि को दीर्घकालिक पट्टे पर (30 वर्ष या इससे अधिक) दिया जाना	कोई भी व्यक्ति	प्रमोटर;

(ii) **स्पष्टीकरण में , उपवाक्य (छ) के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा , याथा :-**

(ज) "अपार्टमेंट" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (ङ) में दिया गया हो।

(झ) "प्रमोटर" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसके लिए रीयल एस्टेट (रेगूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (2016 का 12) की धारा 2 की उपवाक्य (यट) में दिया गया हो।

(ञ) "प्रोजेक्ट" से अभिप्रायः किसी रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (R E P) या रेजीडेंशियल रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (R R E P) से है।

(ट) "रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (R E P)" का वही अभीप्रायः होगा जो इसके लिए रीयल इस्टेट (रेग्यूलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट , 2016 (2016 का 16) की धारा 2 के उपवाक्य (यढ) में दिया गया हो।

(ठ) "रेजीडेंशियल रीयल एस्टेटप्रोजेक्ट (RREP)" का अभिप्रायः उसरीयल एस्टेट प्रोजेक्ट(REP) से होगा जिनमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट एरिया उस रीयल एस्टेट प्रोजेक्ट (REP) के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट एरिया के 15% से अधिक न हो।

(ढ) "फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एफएसआई)" से अभिप्रायः किसी भवन के कुल फ्लोर एरिया (सम्पूर्ण फ्लोर एरिया) और उस भू-खण्ड के क्षेत्रफल के अनुपात से है जिसपर कि ऐसे भवन का निर्माण हुआ हो।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2019 से लागू होगी ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

ए. के. सिंह, उप-सचिव-VI (वित्त)

नोट:- प्रधान अधिसूचना सं. 13/2017- राज्य कर (दर), दिनांक 30 जून 2017 को सं0 फा0 03(15)/वित्त(राज0-1)/2017-18/डीएस-VI/379 दिनांक 30 जून 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र असाधारण के भाग-IV में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 29/2018 – राज्य कर (दर) दिनांक 03 सितम्बर, 2019, सं. फा. 03(27)/वित्त(राज.-1)/2019-20/डीएस-VI/392, दिनांक 03 सितम्बर, 2019 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।

FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 31st October, 2019

No 05/2019- State Tax (Rate)

No. F. 3(78)/Fin(Rev-I)/2019-20/DS-VI/516.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-I), No.13/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, *vide* number No. F.3(15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/ 379, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, after serial number 5A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"5B	Services supplied by any person by way of transfer of development rights or Floor Space Index (FSI) (including additional FSI) for construction of a project by a promoter.	Any person	Promoter.
5C	Long term lease of land (30 years or more) by any person against consideration in the form of upfront amount (called as premium, salami, cost, price, development charges or by any other name) and/or periodic rent for construction of a project by a promoter.	Any person	Promoter.”;

(ii) in the Explanation, after clause (h), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(i) The term "apartment" shall have the same meaning as assigned to it in clause (e) under section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2017).
(j) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zk) under section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2017).

(k) the term "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP);

(l) "the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016).

(m) The term "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 per cent. of the total carpet area of all the apartments in the REP.

(n) "floor space index (FSI)" shall mean the ratio of a building's total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built.".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st of April, 2019.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

A. K. SINGH, Dy. Secy.-VI (Finance)

Note: -The principal notification No. 13/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part-IV, published vide No. F.3(15)/Fin.(Rev-I)/2017-18/DS-VI/379, dated the 30thJune, 2017 and was last amended by notification No.29/2018 - State Tax (Rate), dated the 3rd September, 2019 vide no F.3(27)/Fin.(Rev-I)/2019-20/DS-VI/392 dated the 3rd September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.05 22:48:14 +05'30'